

समझौता-ज्ञापन (एम0ओ0यू0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कार्य का नाम:- पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि0भी0 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 हे0 के बदले कुल वन भूमि के बदले वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाले ग्राम कुण्डी रा0उ0नि0 क्षे0 मोख तहसील घाट जिला चमोली में खसरा नम्बर 1595 रक्वा 5.035 हे0, खसरा न0 1600 रक्वा 0.421 हे0,, खसरा न0 1601 रक्वा 0.133 हे0, 1612 रक्वा 0.678 हे0, खसरा न0 1621 रक्वा 0.284 हे0 कुल रक्वा 6.551 हे0, जो कि श्रेणी. 10(4) भीटा में अंकित है भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयन कर लिया गया है, तथा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त स्थल देने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

अधिसूची अधिनियम
P.E.M.G.S.Y Division
पी0एम0जी0एस0वाई
लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग

जिलाधिकारी,
चमोली (सोपेश्वर)

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

उप जिलाधिकारी
चमोली